

यौन उत्पीड़न, यौन दुराचार, डेटिंग हिंसा,
घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, एवं
प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणसहित
यौन उत्पीड़न के संबंध में
महत्वपूर्ण सूचना

2017-18 शैक्षिक वर्ष

इस पुस्तिका में निहित सभी सूचनाओं को नोट्रे डेम की निम्नलिखित वेब-
आधारित छात्र पुस्तिका में ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है:

dulac.nd.edu/important

यह पुस्तिका विश्वविद्यालयों के छात्रों को यौन उत्पीड़न से संबंधित नॉट्रे डेम
की नीतियों से परिचित करने के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें सम्मिलित हैं:

यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा,
घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाला आचरण।

यह पुस्तिका ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट के लिए विश्वविद्यालय की
रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया की प्रक्रियाओं की रूपरेखा भी निर्मित
करती है।

*इस दस्तावेज़ के प्रावधान नॉट्रे डेम विश्वविद्यालय और किसी भी आवेदक, छात्र, छात्र के परिवार, या संकाय या स्टाफ के सदस्य के बीच किसी भी व्यक्ति या निहित
अनुबंध का निर्माण नहीं करते हैं। नॉट्रे डेम विश्वविद्यालय किसी भी समय नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों, अधिनियमों एवं सूचनाओं को परिवर्तित करने का अधिकार
सुरक्षित रखता है।*

विषय-सूची

परिचय	4
रिपोर्टिंग के विकल्प.....	4
प्रशासनिक संपर्क.....	4
शिक्षण कार्यक्रम.....	4
PROMPT, FAIR, AND IMPARTIAL INVESTIGATION AND RESOLUTION	4
“शिकायतकर्ता” एवं “उत्तरदाता” के संदर्भ.....	5
छात्र समूह के लिए योग्यता.....	5
लागू विश्वविद्यालय नीतियां.....	5
यौन उत्पीड़न	5
यौन आक्रमण.....	5
अन्य यौन दुराचार	5
गैर-सह संवेदी यौन संपर्क.....	5
डेटिंग हिंसा.....	6
घरेलू हिंसा	6
छेड़छाड़	6
अन्य यौन दुराचार अपराध	6
प्रतिकूल वातावरण.....	6
सहमति, मादकता एवं अक्षमता के बारे में जानकारी	7
गोपनीय संसाधन और गोपनीयता के बारे में जानकारी.....	7
गोपनीय संसाधन.....	7
जांच पड़ताल; उत्तरदायी कर्मचारी की रिपोर्टिंग के लिए गोपनीयता एवं गोपनीयता के पैरामीटर कर्तव्य	7
विश्वविद्यालय द्वारा जारी अपराधों के बारे में गोपनीयता एवं गोपनीयता के पैरामीटर	7
परामर्श, मेडिकल, एवं ग्राम्य देखभाल की उपलब्धता	8
किसी घटना पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने पर विचार.....	9
अल्कोहोल और पैराएटल्स के बारे में छात्रों की चिंताओं को संबोधित करना	9
एक परामर्शदाता की उपस्थिति.....	9
एक संसाधन समन्वयक का असाइनमेंट	9

संसाधनों की सहायता करने के लिए परामर्श की उपलब्धता	10
अंतरिम उपाय.....	10
कोई संपर्क आदेश नहीं	10
प्रतिशोध एवं धमकी की रोकथाम	10
प्रतिशोध, संपर्क न करने के आदेश, और/या अंतरिम उपायों के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्टिंग औरप्रतिक्रिया प्रक्रियाएं	11
नोटरे डैम और/या कानून लागूकरण के माध्यम से एक कार्रवाई का अनुसरण करने के बारे में विचार करने के लिए जानकारी	11
यौन उत्पीड़न, यौन संभोग, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, औरप्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाली घटनाओं की सूचना किस प्रकार दें	12
विश्वविद्यालय को सूचित करना	12
कानून लागूकरण की रिपोर्टिंग	12
रिपोर्ट्स के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया	14
प्रारंभिक आकलन.....	14
अनामिकता और/या कोई विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रक्रिया नहीं के लिए अनुरोध.....	14
उत्तरदाता के नामांकन, प्रतिलेख औरडिग्री के बारे में जानकारी	14
वैकल्पिक संकल्प प्रक्रिया	15
प्रशासकीय संकल्प प्रक्रिया	15
शिक्षण कार्यक्रम	20

परिचय

यौन उत्पीड़न, जिसमें यौन उत्पीड़न और यौन दुराचार सम्मिलित हैं, सेक्स के विभेदन का एक रूप है जो 1972 के शिक्षा संशोधन के शीर्षक IX के अंतर्गत निषिद्ध है। डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ को सेक्स के विभेदन के रूपों में भी समझा जा सकता है।

इन अपराधों की गंभीरता के कारण, विश्वविद्यालय ने कथित उल्लंघन के समाधान के लिए इस पुस्तिका में उल्लिखित विशिष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

इस दस्तावेज़ द्वारा निषिद्ध आचरणों संलग्न छात्र विश्वविद्यालय से बर्खास्त होने तक अनुशासनात्मक कार्यवाई के अधीन हो सकते हैं। कुछ प्रकार के यौन उत्पीड़न राज्य एवं संघीय कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा उठाई गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाई का स्वतंत्र रूप से आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

यह दस्तावेज़ उन प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है जिनका उपयोग यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों की रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल और प्रतिक्रिया देने के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या आचरणों समाप्त करने, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने, और व्यक्तिगत, परिसर समुदाय के सदस्यों, या विश्वविद्यालय-संबंधित कार्यक्रम या गतिविधियों पर आचरणों किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का उपाय करने के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों के बारे में रिपोर्टों की प्रतिक्रिया देगा।

रिपोर्टिंग के विकल्प

छात्रों को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों की रिपोर्टिंग के लिए ऑनएवं ऑफ़कैंपस दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रशासनिक संपर्क

छात्र मामलों के कार्यालय ने नॉट्रे डेम के छात्रों द्वारा यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों उल्लंघन को संभालने के लिए उप शीर्षक IX समन्वयक (और उनके पदनामितों) को नियुक्त किया है।

उप शीर्षक IX समन्वयक
कार्यालय के छात्र मामलों का
कार्यालय 316 मुख्य बिल्डिंग
नॉट्रे डेम, आईएन 46556
574-631-7728
DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu

विश्वविद्यालय ने संस्थागत इक्विटी के कार्यालय के निदेशक को अपने नामांकन के लिए शीर्षक IX के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने और उसके निष्पादन के सभी प्रयासों को संभालने के लिए नियुक्त किया है। शीर्षक IX समन्वयक से निम्नानुसार संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, संस्थागत इक्विटी शीर्षक IX
समन्वयक का कार्यालय
100 ग्रेस हॉल नॉट्रे डेम नोट्रे
डेम विश्वविद्यालय, आईएन
46556 574-631-0444
equity@nd.edu

शिक्षण कार्यक्रम

विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न (जिसमें बलात्कार और परिचित बलात्कार के लिए सम्मिलित है लेकिन उस तक सीमित नहीं है), यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और सभी आने वाले छात्रों और नए कर्मचारियों के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय छात्रों और कर्मचारियों के लिए निरंतर रोकथाम और जागरूकता अभियान का समन्वय करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस दस्तावेज़ का शिक्षा कार्यक्रम अनुभाग देखें।

त्वरित, उचित, और निष्पक्ष जांच पड़ताल एवं समाधान

विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों के आरोपों को संबोधित करने के लिए प्रक्रिया करता है, इस प्रकार के आरोपों का त्वरित, उचित और निष्पक्ष जांच और समाधान प्रदान करता है और इसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरण

औरप्रतिभागियों की सुरक्षा की रक्षा औरजवाबदेही को बढ़ावा देने वाली जांच पड़ताल औरसंकल्प प्रक्रिया को किस प्रकार आयोजित किया जाए इनसे संबंधित मुद्दों पर वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

“शिकायतकर्ता” एवं “उत्तरदाता” के संदर्भ

इस दस्तावेज़ में वर्णित नीतियों औरप्रक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति जो सीधे कथित उल्लंघन से प्रभावित हुआ है वह “शिकायतकर्ता” के रूप में संदर्भित है। जिस छात्र ने विश्वविद्यालय की नीति का उल्लंघन किया है, उसे “उत्तरदाता” कहा जाता है।

छात्र समूहों के लिए जवाबदेही

व्यक्तिगत छात्रों की जांच पड़ताल औरसंबोधित व्यवहार के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय छात्र समूहों (छात्र क्लबों, संगठनों, टीमों, आवासीय समुदायों, आदि) के सामूहिक व्यवहार की जांच औरजवाबदेह रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लागू विश्वविद्यालय नीतियां

निम्न नीतियों के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट कैसे करें औरकिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, इसके बारे में जानकारी पृष्ठ 12 पर “यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ औरप्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणकी घटनाओं को रिपोर्ट कैसे करें”, अनुभाग में प्राप्त की जा सकती हैं।

विश्वविद्यालय आचरणके विश्वविद्यालय मानक में उल्लिखित अन्य नीतियों के कथित उल्लंघन का संबोधन औरजांच पड़ताल कर सकता है। उप-शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) उन नीतियों के उत्तरदाता को सूचित करेंगे जिनकी प्रशासनिक समाधान की सूचना के माध्यम से जांच पड़ताली की जा रही है (पृष्ठ 14 देखें)।

यौन उत्पीड़न

परिभाषित रूप में औरविश्वविद्यालय द्वारा निषिद्ध यौन उत्पीड़न में सम्मिलित है यौन उत्पीड़न, अन्य यौन दुराचार, औरप्रतिकूल वातावरण का निर्माण, जैसा नीचे वर्णित है।

A. यौन आक्रमण

यौन आक्रमण किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी सहमति के किया गया संभोग है। इसमें किसी भी स्तर पर शरीर या अन्य वस्तु के किसी भी भाग के साथ मौखिक, गुदा औरयोनि में प्रवेश सम्मिलित है। इसे “गैर-अनुवांशिक संभोग” के रूप में भी जाना जाता है।

यौन आक्रमण यौन उत्पीड़न के सबसे प्रबल रूपों में से एक है। संघीय कानून यौन दुराचार एवं यौन आक्रमण को यौन उत्पीड़न के शीर्षक IX के रूपों के अंतर्गत निषिद्ध करता है। यौन उत्पीड़न राज्य के कानून के साथ ही विश्वविद्यालय की नीति का भी उल्लंघन करता है।

यौन उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी छात्रों को साधारण रूप से विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से बर्खास्त होने तक प्रशासनिक परिणामों का सामना करना होगा।

यौन उत्पीड़न विश्वविद्यालय के मूल्यों के साथ असंगत है औरनोट्रे डेम समुदाय की अपेक्षा के अनुसार सुरक्षित, स्वस्थ वातावरण के विरुद्ध है। इस समुदाय के सभी सदस्य एक ऐसा वातावरण निर्मित करने एवं बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देता है।

विश्वविद्यालय का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अकेले यौन दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न के प्रभाव को सहन नहीं करना चाहिए। जब ऐसा आचरणहोता है, तो विश्वविद्यालय की सर्वोपरि चिंता उन प्रभावित लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए होती है। छात्रों का समर्थन एवं

सहायता करने के लिए, विश्वविद्यालय सेवाओं और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इन संसाधनों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया परामर्श, चिकित्सा, एवं ग्राम्य देखभाल के लिए संसाधन देखें।

B. अन्य यौन दुराचार

अन्य यौन दुराचार निम्नलिखित अपराधों में से किसी का रूप ले सकते हैं:

गैर-सहमति-जन्य यौन संपर्क

गैर-सहमति-जन्य यौन संपर्क बिना किसी सहमति के, किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शरीर या किसी अन्य वस्तु के किसी भी भाग के साथ यौन स्पर्श है। यौन स्पर्श यौन प्रकृति का एक संपर्क है, हालांकि यह साधारण होता है।

डेटिंग हिंसा

डेटिंग हिंसा को शारीरिक हिंसा या एक व्यक्ति द्वारा की गई शारीरिक हिंसा का खतरा माना जाता है जो किसी व्यक्ति के साथ रोमांटिक या अंतरंग प्रकृति के सामाजिक संबंध में हो। ऐसे संबंध का अस्तित्व कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जैसे कि लंबाई और प्रकार के संबंध, एवं सम्मिलित व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रिया की आवृत्ति।

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा को शारीरिक हिंसा या एक व्यक्ति की वर्तमान या पूर्व पति या पत्नी द्वारा किए गए शारीरिक हिंसा का खतरा बताया गया है, उस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ व्यक्ति का सम्मिलित रूप से कोई शिशु हो, एक व्यक्ति द्वारा जो उस व्यक्ति के साथ सहवास कर रहा हो जैसे कि एक पति या पत्नी (लागू कानून के अनुसार निर्धारित), या वयस्क या युवाओं के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो घरेलू या पारिवारिक हिंसा के कानूनों के अंतर्गत उस व्यक्ति के कृत्यों से सुरक्षित है।

छेड़छाड़

छेड़छाड़ को जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति के साथ बार-बार या निरंतर उत्पीड़न के कारण में सम्मिलित होने के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे उचित व्यक्ति को आतंकित, भयभीत, डराया या धमकाया जा सके और वास्तव में व्यक्ति आतंकित, भयभीत, डरा या धमका हुआ महसूस हो।

अन्य यौन दुराचार अपराध

अन्य यौन दुर्व्यवहार अपराधों में सम्मिलित हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

- अभद्र प्रदर्शन
- यौन आत्मप्रदर्शन
- सेक्स आधारित साइबर-उत्पीड़न
- वेश्यावृत्ति या एक वेश्या की आग्रह
- झांकना या अन्य दृश्यमानता
- सहमति की सीमाओं से परे जाना (जैसे रिकॉर्डिंग, शेयरिंग या रिकॉर्डिंग का प्रसार करना, या सभी पार्टियों की सहमति के बिना रिकॉर्डिंग, यौन क्रिया या नग्नता को शेयर करने या प्रसार करने की धमकी देना)

C. प्रतिकूल वातावरण

वह आचरण जो प्रतिकूल वातावरण निर्मित करते हैं उनमें सम्मिलित हैं अवांछित यौन वृद्धि, यौन से संबंधित अनुरोध और यौन प्रकृति के अन्य मौखिक, गैर मौखिक, या शारीरिक जब:

- इस प्रकार के आचरणको प्रस्तुत करना स्पष्ट रूप से या पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के रोजगार या किसी पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या गतिविधि में छात्र की स्थिति की शर्त पर निहित है;
- इस प्रकार के आचरणको प्रस्तुत करने या अस्वीकार करने के लिए रोजगार या शैक्षणिक निर्णय के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है; या
- एक ही स्थिति में व्यक्ति एवं उचित व्यक्ति दोनों के परिप्रेक्ष्य से देखे जाने पर, आचरणप्रदर्शन के साथ हस्तक्षेप करता है, विश्वविद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी को सीमित करता है, या विश्वविद्यालय के वातावरण को भयभीत, प्रतिकूल, या आक्रामक बनाता है

आचरणके उदाहरण जो प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर सकते हैं इसमें सम्मिलित हैं:

- अवांछनीय यौन चुटकुले, भाषा, उपशीर्षक, अग्रिम या प्रस्ताव;
- यौन सूचक वस्तुओं, चित्र, पत्रिकाएं, पोस्टर या कार्टून का प्रदर्शन;
- किसी व्यक्ति के शरीर, यौन अभिविन्यास, यौन कौशल या यौन अभावों के बारे में टिप्पणियां;
- यौन रूप से सूचक, अपमानजनक या अश्लील टिप्पणी, इशारे या आचरण(जैसे कि कटाक्ष या सीटी);
- शिक्षा या रोजगार से संबंधित पुरस्कार की सूचना या प्रस्ताव देना, जैसे कि यौन अनुग्रह के बदले में अनुकूल समीक्षा, ग्रेड, असाइनमेंट, पदोन्नति या निरंतर रोजगार; या
- शिक्षा या रोजगार से संबंधित प्रतिकूल कार्यवाही करना या करने की धमकी देना, जैसे कि यौन आचरणया अग्रिम अस्वीकार कर दिये जाने पर प्रतिकूल समीक्षा, ग्रेड या असाइनमेंट।

सहमति, मादकता एवं अक्षमता के बारे में जानकारी

सहमति का मतलब है, यौन गतिविधि के प्रत्येक रूप में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रूप से किया गया समझौता, स्पष्ट रूप से समझने वाले शब्दों या कार्यों के द्वारा सूचित किया जाना। सहमति को मौन, निष्क्रियता, या सक्रिय प्रतिरोध की कमी से अनुमानित नहीं किया जा सकता है। एक वर्तमान या पिछला डेटिंग या यौन संबंध सहमति का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, एवं यौन गतिविधि के एक रूप की सहमति यौन गतिविधि के अन्य रूपों की सहमति नहीं दर्शाती है। परिभाषा के अनुसार, बल या हिंसा या किसी अन्य प्रकार के बलात्कार या धमकी, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के होने पर कोई सहमति नहीं होती है। यौन आक्रमण से पीड़ित किसी व्यक्ति को शारीरिक या अन्य रूप से आक्रमणकारी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है; सूचना की कमी, यौन संपर्क के लिए स्वतंत्र रूप से दी गई सहमति यौन दुराचार का कारण बनती है। किसी संदिग्ध व्यक्ति के सम्मति-वय के कानून के अंतर्गत होने पर कोई सहमति नहीं होती। इंडियाना में सहमति की कानूनी आयु 16 है।

मादकता सहमति प्राप्त करने में विफलता के लिए कोई बहाना नहीं है।

एक अक्षम व्यक्ति सहमति देने के लिए असमर्थ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी शारीरिक या मानसिक स्थिति में है जिसमें यौन संपर्क में संलग्न होने के लिए सचेत एवं इच्छित रूप से पसंद करने की क्षमता उसमें मौजूद न हो तो वह व्यक्ति अक्षम है। इस नीति के प्रयोजनों के लिए, जो व्यक्ति सो रहा है या बेहोश है वह अपवाद के बिना अक्षम है। एक व्यक्ति अन्य कारकों के कारण भी अक्षम हो सकता है, जिसमें शराब और/या ड्रग्स के उपयोग को ऐसी डिग्री के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति में यौन संपर्क में संलग्न होने के लिए सचेत या इच्छित रूप से पसंद करने की क्षमता मौजूद न हो। एक ऐसे व्यक्ति के साथ यौन गतिविधि में संलग्न होना जिसके बारे में आपजानते हैं, या आपको यथोचित रूप से जानना चाहिए, कि वह अक्षम है उल्लंघन का गठन होता है। यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उत्तरदाता अक्षम था या नहीं तो, प्रासंगिक मानक यह है कि क्या उत्तरदाता को ज्ञात था, या एक सचेत, उचित व्यक्ति को उत्तरदाता की स्थिति के बारे में ज्ञात होना चाहिए था कि, उत्तरदाता अक्षम था और वह यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं दे सकता है।

गोपनीय संसाधन और गोपनीयता के बारे में जानकारी

गोपनीय संसाधन

यदि कोई छात्र किसी घटना की जानकारी को गोपनीय रखने की इच्छा करता है तो, छात्र इन व्यक्तियों से बात कर सकता है:

- विश्वविद्यालय परामर्श केंद्र में परामर्शदाता;
- स्वास्थ्य प्रदाता, जैसे कि विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा एवं स्थानीय अस्पताल;
- ऑफ़फ़ैस बलात्कार संकट संसाधन, जैसे कि एस-ओएस, सेंट जोसेफ काउंटी के लिए बलात्कार संकट केंद्र; तथा
- धार्मिक संकल्प लेने वाले व्यक्ति (पुजारी, उपयाजक, एवं धार्मिक बहनें एवं भाई)

ये व्यक्ति गोपनीयता का सम्मान करेंगे, जब तक कि छात्र या अन्य लोगों के लिए कोई निकटस्थ संकट न हो। इसके अतिरिक्त, पुनर्मिलन (स्वीकृति) के संकाय के दौरान छात्र के प्रकटीकरण को किसी भी पुजारी के द्वारा किसी भी कारण से प्रकट नहीं किया जाएगा, जो कि कानून द्वारा संरक्षित एक पवित्र दायित्व है।

जांच पड़ताल; उत्तरदायी कर्मचारी की रिपोर्टिंग के लिए गोपनीयता एवं गोपनीयता के पैरामीटर कर्तव्य

सभी मामलों में और यथासंभव संभव सीमा तक, विश्वविद्यालय सभी दलों की गोपनीयता को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, और/या शत्रुतापूर्ण वातावरण निर्मित करने वाले आचरणकी रिपोर्ट तक सुरक्षित रखेगा। इसी के साथ, उपरोक्त सूचीबद्ध उन गोपनीय संसाधनों के अपवाद के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों सहित विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को जिम्मेदार कर्मचारी माना जाता है।

जिम्मेदार कर्मचारी जो यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणके किसी भी संदिग्ध या संभावित उल्लंघन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे उसमें कोई छात्र सम्मिलित हो या तीसरा पक्ष, इसकी सूचना विश्वविद्यालय को देना अनिवार्य है।

जिम्मेदार कर्मचारी किसी उत्तरदाता, साक्षी या उत्तरदाता को सहायता एवं समर्थन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन, जिम्मेदार कर्मचारी यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार,

डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणके बारे में गोपनीयता बनाए रखने या जानकारी को दबा कर रखने का वचन नहीं दे सकते।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अपराधों के बारे में गोपनीयता एवं गोपनीयता के पैरामीटर

नोट्रे डेम समुदाय को समयपर सूचना प्रदान करने औरपरिसर में होने वाले किसी गंभीर अपराध की स्थिति में जिससे नोट्रे डेम समुदाय के सदस्यों के लिए एक गंभीर अविरत संकट उत्पन्न हो गया हो, परिसर में सभी छात्रों, संकाय एवं कर्मचारियों को एक बड़े पैमाने पर अपराध की चेतावनी का ईमेल भेजा जाएगा औरनोट्रे डेम सुरक्षा नीति की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा, औरपरिसर में निवास के कक्षों एवं विभिन्न अन्य इमारतों में भी पोस्ट किया जा सकता है। अपराध की चेतावनी एवं किसी भी अपडेट का प्रारूप इस प्रकार तैयार औरप्रसारित किया जाएगा, जिससे शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सुरक्षित रहे। इस प्रकार की

चेतावनियों एवं अपडेट में कानून द्वारा अनुमत सीमा तक किसी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्डकीपिंग में शिकायतकर्ता के बारे में जानकारी की पहचान सम्मिलित नहीं है।

परामर्श, मेडिकल, एवं ग्राम्य देखभाल की उपलब्धता

निम्न संसाधन नोट्रे डेम नोट्रे के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं औरउन छात्रों को इसमें विशेष रुचि हो सकती है, जो किसी घटना से प्रभावित हुए हैं:

परामर्श संसाधन

उन छात्रों को विश्वविद्यालय के परामर्श केंद्र (UCC) से विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है, जो प्रशिक्षित पेशेवरों औरपरामर्शदाताओं द्वारा कार्यरत हैं। वर्तमान छात्र किसी भी समयपरामर्श का अनुरोध कर सकते हैं, यहां तककि घटना के कुछ साल बाद भी। UCC की गोपनीय सेवाएं ऐसे किसी भी छात्र के लिए उपलब्ध हैं जिसे सहायता या समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। UCC तक 574-631-7336 (24 घंटे) तक पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सेंट लियाम हॉल में, सोमवार-शुक्रवार, सुबह 9:00 से शाम -5:00 बजे तक एक प्रत्यक्ष आपात सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, ucc.ndu.u पर जाएं।

सेंट जोसेफ काउंटी का पारिवारिक न्याय केंद्र नागरिक, कानूनी, चिकित्सा औरसामाजिक सेवाओं का एक सहयोग है, जो संबंधों की हिंसा एवं यौन उत्पीड़न से प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करता है। पारिवारिक न्याय केंद्र तक 574-234-6900 पर कॉल करके पहुंचा जा सकता है औरउनका कार्यालय दक्षिण बेंड में 533 नॉर्थ नाइल्स एवेन्यू में स्थित है। पारिवारिक न्याय केंद्र की वेबसाइट www.fjcsjc.org है।

पारिवारिक न्याय केंद्र की एक सेवा S-O-S, सेंट जोसेफ काउंटी के लिए बलात्कार-संकट केंद्र है। S-O-S को प्रशिक्षित पेशेवरों औरस्वयंसेवक अधिवक्ताओं द्वारा प्रबंधित एवं प्रशिक्षित किया जाता है जो दिन में 24 घंटे उपलब्ध हैं। कर्मचारी गोपनीय परामर्श एवं बहाली की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, साथ ही पुलिस, परिवार एवं दोस्तों के साथ संचार के बारे में समर्थन एवं जानकारी प्रदान कर सकते हैं। S-O-S के स्वयंसेवी अधिवक्ता फोन पर एवं व्यक्ति के क्षेत्रीय अस्पताल में समय-समयपर आपातकालीन विभाग को भावनात्मक समर्थन औरजानकारी प्रदान करते हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों को गोपनीय परामर्श, समूह चिकित्सा, सूचना, एवं रेफरल प्रदान करते हैं। S-O-S अधिवक्ता छात्र एवं कानूनी प्रक्रिया के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है, औरवे वांछित रूप से अदालत में जा सकते हैं। बलात्कार संकट केंद्र के लिए 24 घंटे उपलब्ध टेलीफोन नंबर 574-289-4357 है।

बलात्कार, दुर्व्यवहार एवं अगम्यागमन राष्ट्रीय नेटवर्क (RAINN) एक यौन-विरोधी हिंसा संगठन है जो पूरे देश में 1,100 से अधिक स्थानीय बलात्कार संकट केंद्रों के साथ सहयोग करता है। इसके कार्यक्रमों में, RAINN के पास दुनिया भर में दो संसाधन उपलब्ध हैं: (1) राष्ट्रीय यौन आक्रमण की ऑनलाइन हॉटलाइन, एक सुरक्षित वेब-आधारित हॉटलाइन जो तत्काल मैसेजिंग के समान इंटरफेस के माध्यम से लाइव एवं गोपनीय सहायता प्रदान करती है; एवं (2) राष्ट्रीय यौन आक्रमण हॉटलाइन (800-656-HOPE), जो दिन में 24 घंटे, सप्ताह में सात दिन, नि: शुल्क, गोपनीय सेवाएं प्रदान करती है।

चिकित्सा संसाधन

जो छात्र यौन उत्पीड़न या यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले दुराचार के दौरान घायल हो गए हैं, उन्हें अपनी चोटों के लिए तत्काल औरउपयुक्त चिकित्सा उपचार की तलाश करनी चाहिए। ऐसा उपचार प्रमाण संरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है जो यौन उत्पीड़ित, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणके साक्ष्य के रूप में सहायता कर सकता है, जिस स्थिति में विद्यार्थी बाद में आपराधिक आरोपों को दर्ज करता है या सुरक्षा के आदेश प्राप्त करने का प्रयास करता है।

छात्र गोपनीय एवं पेशेवर चिकित्सा देखभाल के लिए विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विजिट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा सेंट लियाम हॉल में स्थित है औरउस तक 574-631-7497 पर पहुंचा जा सकता है। संचालन के समयके लिए uhs.nd.edu को देखें। जबकि विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी आपराधिक मुकदमा चलाने के प्रयोजनों के लिए प्रमाण एकत्र करने से संबंधित प्रक्रियाओं को करने में असमर्थ हैं, वे यौन संचारित संक्रमणों के लिए घाव की देखभाल, परीक्षण औरउपचार सहित चिकित्सा देखभाल एवं यौन उत्पीड़न नर्स परीक्षक के लिए रेफरल एवं परिवहन प्रदान कर सकते हैं। यौन उत्पीड़न

के उत्तरजीवी लोगों के लिए चिकित्सा सेवाएं विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा बिना किसी शुल्क पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं और उन्हें दृढ़ता से गोपनीय रखा जाता है।

एक यौन आक्रमण नर्स परीक्षक (SANE) यौन उत्पीड़ित, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणके चिकित्सा देखभाल एवं संरक्षित प्रमाण दोनों प्रदान कर सकता है, जिस स्थिति में विद्यार्थी बाद में आपराधिक आरोपों को दर्ज करता है या सुरक्षा के आदेश प्राप्त करने का प्रयास करता है। दक्षिण बेंड क्षेत्र के दो अस्पतालों में सेंट जोसेफ क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र एवं साउथ बेंड का मेमोरियल अस्पताल है। सेंट जोसेफ क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र का SANE कार्यक्रम, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में सात दिन आपातकालीन देखभाल और प्रमाण संग्रह प्रदान करता है। मेमोरियल अस्पताल इन सेवाओं को भी प्रदान करता है लेकिन उसके पास 24/7 कार्यक्रम नहीं है, इसलिए यौन उत्पीड़न नर्स परीक्षक की उपलब्धता सीमित हो सकती है। इंडियाना कानून के तहत, आक्रमण के 120 घंटों के भीतर इलाज की मांग किये जाने पर अस्पतालों के परीक्षण और प्रक्रियाएं निः शुल्क हैं। इस परीक्षण में एकत्रित साक्ष्य को अस्पताल द्वारा अनुरक्षित रखा जाता है और पुलिस को तब तक प्रदान नहीं किया जाता है जब तक कि व्यक्ति पुलिस को आक्रमण की रिपोर्ट न करे। पुलिस से बात करने या

न करने के बारे में कोई भी निर्णय व्यक्ति पर निर्भर है।

एक छात्र 574-289-4357 पर सेंट जोसेफ काउंटी के पारिवारिक न्याय केंद्र के S-O-S प्रोग्राम को फोन कर सकता है और S-O-S के अधिवक्ता को अस्पताल में छात्र के उपचार, साक्ष्य के संग्रह, यौन संचारित रोग परीक्षण और अनुवर्ती देखभाल प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है। एक छात्र के अस्पताल में आने के बाद, सेंट जोसेफ क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र में SANE, एक छात्र द्वारा अनुरोध पर, अस्पताल में छात्र को मिलने के लिए सेंट जोसेफ काउंटी के पारिवारिक चिकित्सा केंद्र के S-O-S कार्यक्रम के एक अधिवक्ता से संपर्क कर सकता है। एक छात्र एक S-O-S के अधिवक्ता के उपस्थित होने तक एक चिकित्सा परीक्षा करने के लिए SANE को प्रतीक्षा करने के लिए अनुरोध कर सकता है। S-O-S कार्यक्रम एक गोपनीय संसाधन है।

Pastoral Resources

धार्मिक संकल्प लेने वाले व्यक्ति (पुजारी, उपयाजक, एवं धार्मिक बहनें एवं भाई) कैम्पस मंत्रालय के भीतर कार्य करने वाले और उस भूमिका में कार्य करने वाले गोपनीय संसाधन हैं।

ये व्यक्ति गोपनीयता का सम्मान करेंगे, जब तक कि छात्र या अन्य लोगों के लिए कोई निकटस्थ संकट न हो। इसके अतिरिक्त, पुनर्मिलन (स्वीकृति) के संकाय के दौरान छात्र के प्रकटीकरण को किसी भी पुजारी के द्वारा किसी भी कारण से प्रकट नहीं किया जाएगा, जो कि कानून द्वारा संरक्षित एक पवित्र दायित्व है। कैम्पस मंत्रालय तक 574-631-7800 या campusministry.nd.edu पर पहुंचा जा सकता है।

संसाधनों की एक पूरी सूची विश्वविद्यालय के शीर्षक IX/यौन आक्रमण की वेबसाइट (titleix.nd.edu) पर उपलब्ध है।

किसी घटना पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने पर विचार

निम्न जानकारी छात्रों को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों की घटनाओं की सूचना विश्वविद्यालय को देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाती है।

अन्य उल्लंघनों (अल्कोहल, पार्श्विका, आदि) के बारे में छात्र की चिंताओं को संबोधित करना।

कई बार, छात्र यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों की सूचना देने से संकोच करते हैं क्योंकि वे चिंतित होते हैं कि स्वयं उन्हें या दुर्व्यवहार के साक्षी लोगों को अन्य नीतियों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाया जा सकता है (उदाहरण के तौर पर, पार्श्विक या शराब का उल्लंघन)। इन व्यवहारों को विश्वविद्यालय द्वारा माफ नहीं किया जाता है, लेकिन कथित यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों को संबोधित करने का महत्व छोटे उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए विश्वविद्यालय के हितों की तुलना में अधिक है। तदनुसार, इन मामलों में, विश्वविद्यालय शिकायतकर्ताओं और गवाहों को छोटे नीति उल्लंघनों (जैसे पार्श्विक या शराब के उल्लंघन) को संबोधित करने के लिए विश्वविद्यालय आचरणप्रक्रिया का उल्लेख नहीं करेगा।

हॉल में असुरक्षित महसूस करने वाले छात्रों को पार्श्विक के उल्लंघन के लिए चिंता किए बिना, समयकी परवाह किए बिना, हॉल को छोड़ देना चाहिए। अगर उल्लंघन यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों की घटना से संबंधित है तो, छात्र विश्वविद्यालय के स्नातक निवास हॉल दर्शन (पार्श्विक) नीति के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

एक परामर्शदाता की उपस्थिति

शिकायतकर्ताओं और उत्तरदाताओं को उनके द्वारा चयनित सलाहकार से परामर्श करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सलाहकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसमें प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, जो अन्यथा जांच में शामिल कोई पक्ष या साक्षी नहीं है। इस नीति के अंतर्गत किसी रिपोर्ट की जांच पड़ताल और समाधान से संबंधित कार्य के लिए पार्टियों के साथ किसी भी बैठक में उनके संबंधित सलाहकार उपस्थित हो सकते हैं। सलाहकार की भूमिका है

संवाद रहित, और ऐसे सलाहकार जो बैठकों के दौरान विघटनकारी होते हैं, उन्हें जांच पड़ताल के साक्षात्कार, और कार्यवाही को छोड़ने की आवश्यकता हो सकती

है। हालांकि सलाहकार किसी बैठक और/या कार्यवाही से पहले और बैठकों/कार्यवाही में विराम के दौरान, पार्टियों को समर्थन और सलाह प्रदान कर सकता है, सलाहकार पार्टियों की ओरसे बात नहीं कर सकता है या अन्यथा किसी भी प्रकार की देरी, बाधा होने पर, या बैठकों और/या कार्यवाही के साथ हस्तक्षेप कर नहीं कर सकता है। विश्वविद्यालय सलाहकार की अनुपलब्धता के आधार पर बैठकों, जांच पड़ताल, या प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही के निर्धारण में देरी नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता के साथ सीधे संवाद करेगा, किसी भी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं। कोई प्रतिनिधि शिकायतकर्ता या उत्तरदाता के स्थान पर नहीं उपस्थित नहीं होगा।

प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही के अनुभाग में प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही में सलाहकार की भागीदारी के लिए अतिरिक्त प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

एक संसाधन समन्वयक का असाइनमेंट

उप शीर्षक IX समन्वयक द्वारा एक रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद, एक शिकायतकर्ता को एक संसाधन समन्वयक (RC) नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई रिपोर्ट उत्तरदाता के नाम की पहचान करती है और एक प्रशासनिक समाधान शुरू किया जाता है, तो एक संसाधन समन्वयक भी उत्तरदाता को सौंपा जाएगा। वैकल्पिक संकल्प प्रक्रिया में भाग लेने वाले उत्तरदाता को एक संसाधन समन्वयक भी नियुक्त किया जाएगा। RCs नोट्रे डेम के प्रशिक्षित संकाय एवं प्रशासकों होते हैं जो विश्वविद्यालय की प्रक्रियाओं और उपलब्ध समर्थन सेवाओं की पहचान, व्याख्या और नेविगेट करने के लिए शिकायतकर्ता और उत्तरदाता के लिए संसाधन के व्यक्ति के रूप में काम करेंगे। इसमें परामर्श, शैक्षणिक सहायता, पशुचारिता की देखभाल एवं चिकित्सा उपचार और विश्वविद्यालय और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के लिए रेफरल शामिल हो सकते हैं।

संसाधनों की सहायता करने के लिए परामर्श की उपलब्धता

उप शीर्षक IX समन्वयक द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, शिकायतकर्ता को घटना की प्रकृति के आधार पर विभिन्न संसाधनों के बारे में ऑन और ऑफ़कैम्पस दोनों प्रकार से जानकारी को शेयर किया जाएगा।

अंतरिम उपाय

विश्वविद्यालय जांच पड़ताल के माध्यम से शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने और यदि लागू हो, तो प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करने का अधिकार रखता है। अंतरिम उपायों में वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था, अतिरिक्त गतिविधियों या कार्य का समय समय पर समायोजन, परिवहन, आवास और भोजन की व्यवस्था, और अन्य अंतरिम उपाय सम्मिलित हो सकते हैं। किसी भी समायोजन का लक्ष्य शिकायतकर्ता के शैक्षिक कार्यक्रम पर बोझ को कम करना होगा। जहां उपयुक्त हो, छात्र द्वारा किए गए अनुरोध उचित हों और उन्हें समायोजित किया जा सकता है, ऐसा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। समायोजनों को उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) द्वारा प्रशासित किया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया को जारी रखने की परवाह किए बिना शिकायतकर्ता के लिए अंतरिम उपाय उपलब्ध हैं।

छात्रों को जल्द से जल्द अंतरिम उपायों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 11 पर "प्रतिशोध की रिपोर्ट, नं. संपर्क आदेशों का उल्लंघन, और अंतरिम उपाय की शर्तों के उल्लंघन के लिए रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया प्रक्रिया" देखें।

कोई संपर्क आदेश नहीं

रिपोर्टिंग और/या खोजी प्रक्रिया के माध्यम से उत्तरदाता के नाम की पहचान कर लिये जाने पर, उप-शीर्षक IX समन्वयक, जहां उपयुक्त हो, उत्तरदाता और शिकायतकर्ता दोनों को कोई संपर्क आदेश जारी नहीं करेगा।

जब तक अन्यथा लिखित रूप में नहीं कहा जाता है, एक छात्र जिसे विश्वविद्यालय द्वारा कोई संपर्क नहीं आदेश जारी किया जाता है, हो सकता है कि उसके पास विशिष्ट समय के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से या तीसरे पक्ष द्वारा संपर्क न हो। "तीसरे पक्ष" में मित्र, परिवार, अधिवक्ता, एवं अन्य व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो एक छात्र की ओर से कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कोई भी संपर्क आदेश जारी नहीं किया गया है। "संपर्क" में सम्मिलित है, लेकिन इस तक सीमित नहीं है, ईमेल, सोशल मीडिया, त्वरित मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, फोन कॉल, वॉइसमेल या सीधी विजिट्स। अनैच्छिक संपर्क को कोई संपर्क नहीं आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाता है।

छात्रों को जल्द से जल्द कोई संपर्क नहीं आदेशों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 11 पर "प्रतिशोध की रिपोर्ट, नं. संपर्क आदेशों का उल्लंघन, और अंतरिम उपाय की शर्तों के उल्लंघन के लिए रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया प्रक्रिया" देखें।

कोई संपर्क नहीं आदेश सुरक्षा के आदेशों और निरोधक आदेशों की तरह न्यायालय से प्रशासित कार्रवाइयों से अलग एवं विशिष्ट नहीं हैं। न्यायालय द्वारा प्रशासित कार्रवाइयों के बारे में प्रश्न स्थानीय कानून प्रवर्तन को निर्देशित किए जाने चाहिए।

प्रतिशोध एवं धमकी की रोकथाम

विश्वविद्यालय छात्रों को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों की घटनाओं की सूचना देने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। विश्वविद्यालय ऐसी रिपोर्टों को बहुत गंभीरता से लेता है। रिपोर्टिंग में रुकावट या बाधा डालने के लिए कोई वास्तविक या प्रतिशोध की धमकी या धमकाने के किसी भी कार्य को विश्वविद्यालय द्वारा संबोधित किया जाएगा।

छात्रों को जल्द से जल्द प्रतिशोध के बारे में होने वाली चिंताओं की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 11 पर "प्रतिशोध की रिपोर्ट, नं. संपर्क आदेशों का उल्लंघन, और अंतरिम उपाय की शर्तों के उल्लंघन के लिए रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया प्रक्रिया" देखें।

प्रतिशोध, संपर्क न करने के आदेश, और/या अंतरिम उपायों के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं

विश्वविद्यालय छात्रों को प्रतिशोध के किसी भी कृत्य, कोई संपर्क नहीं आदेश के उल्लंघन और अंतरिम उपायों की शर्तों के उल्लंघन की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

छात्रों को प्रतिशोध या कोई संपर्क नहीं आदेश या अन्य अंतरिम उपाय के उल्लंघन की सूचना देने के लिए निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाते हैं:

- आपात्कालीन स्थिति में, 574-631-5555 पर नॉट्रे डेम सुरक्षा पुलिस को कॉल करें या 911 पर कॉल करें।
- विश्वविद्यालय speakup.nd.edu पर एक ऑनलाइन घटना की रिपोर्टिंग प्रस्तुत करता है। speakup.nd.edu ऑनलाइन रिपोर्टिंग फार्म के माध्यम से प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्ट्स को विश्वविद्यालय के दो (2) व्यावसायिक दिनों के भीतर समीक्षा करने के लिए किसी उपयुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासक को भेजा जाएगा।
- विश्वविद्यालय का उप-शीर्षक IX समन्वयक विश्वविद्यालय कार्यालयों (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:00 - शाम 5:00 बजे) के नियमित व्यावसायिक समय के दौरान 574-631-7728 पर कॉल करके या DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu पर ईमेल द्वारा उपलब्ध है।

प्रतिशोध के किसी भी कृत्य, कोई संपर्क नहीं आदेश के उल्लंघन, और/या अंतरिम उपायों की शर्तों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त करने पर, उप-शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) कथित व्यवहार को संबोधित करने के लिए उपयुक्त साधनों का निर्धारण करने के लिए जानकारी की समीक्षा करेगा।

कोई संपर्क नहीं आदेश का उल्लंघन करने, अंतरिम उपाय का उल्लंघन करने या प्रतिशोध में सम्मिलित करने के लिए जिम्मेदार पाये जाने पर, कोई भी छात्र प्रशासनिक परिणामों के अधीन होगा, जिसमें उसे विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया जा सकता है।

नोट्रे डेम और/या कानून लागूकरण के माध्यम से एक पर कार्रवाई का अनुसरण करने के बारे में विचार करने के लिए जानकारी

शिकायतकर्ता के पास यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या नॉट्रे डेम विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणकी शिकायत करने का विकल्प होता है। एक उत्तरदाता पहली बार विश्वविद्यालय में उपस्थित होने पर जब तक वह स्नातक (या अन्यथा एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को पूर्ण) या स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिये जाने तक समय-समय पर जांच के अधीन हो सकता है। इसके अलावा, एक शिकायतकर्ता किसी उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ आपराधिक शिकायत को भी अपना सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा किसी घटना को उप-शीर्षक IX समन्वयक को सूचित करने पर इन विकल्पों को लिखित नोटिस के साथ प्रदान किया जाएगा।

नोट्रे डेम विश्वविद्यालय के माध्यम से शिकायत का अनुसरण करने के बारे में जानकारी

यदि एक छात्र द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणकी घटना को, एक छात्र द्वारा विश्वविद्यालय को रिपोर्ट किया जाता है तो उप-शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) रिपोर्ट का जवाब देंगे। अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

- प्रारंभिक आकलन (पृष्ठ 13)
- वैकल्पिक समाधान (पृष्ठ 14)
- प्रशासकीय समाधान (पृष्ठ 14)

कानून प्रवर्तन के माध्यम से एक आपराधिक शिकायत का अनुसरण करने के बारे में जानकारी

विश्वविद्यालय छात्रों को सभी घटनाओं के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

नॉट्रे डेम सुरक्षा पुलिस को छात्रों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, और/या छेड़छाड़ की रिपोर्ट को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उप-शीर्षक IX समन्वयक को भी भेजा जाएगा। इसी तरह, जहां विश्वविद्यालय को एक और एजेंसी से रिपोर्ट प्राप्त होती है, उप-शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) और NDSP अनुवर्ती और यथासंभव उचित जांच पड़ताल करेगा।

विश्वविद्यालय का प्रारंभिक आकलन, वैकल्पिक समाधान, और प्रशासनिक समाधान प्रक्रियाएं आपराधिक जांच पड़ताल से अलग हैं।

अगर शिकायतकर्ता विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करने के बाद किसी आपराधिक शिकायत का अनुसरण करना चाहता है, तो शिकायतकर्ता, उप-शीर्षक IX समन्वयक को औपचारिक लिखित अनुरोध करके विश्वविद्यालय के प्रस्ताव प्रक्रियाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है।

विश्वविद्यालय की जवाब देने की क्षमता में अस्थायी रूप से देरी हो सकती है। हालांकि, विश्वविद्यालय अपनी प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया को स्थगित नहीं करने का चयन कर सकता है, जहां पर इस बात पर विश्वास करने का कारण है कि उत्तरदाता शिकायतकर्ता और/या विश्वविद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक निकटस्थ संकट हो सकता है। किसी भी समय शिकायतकर्ता, प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए उप-शीर्षक IX समन्वयक को एक औपचारिक लिखित अनुरोध करके स्थगित करने का विकल्प चुन सकता है। विश्वविद्यालय स्थगन की तारीख के दस्तावेज को अनुरक्षित रखेगा।

यह संभव है कि विश्वविद्यालय अपनी जांच पड़ताल शुरू करने के लिए आपराधिक कार्यवाही के निष्कर्ष की प्रतीक्षा न करे और आवश्यक होने पर शिकायतकर्ता के लिए उचित अंतरिम उपाय उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाएगा।

आपराधिक जांच के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया में विचार किया जा सकता है।

जहां विश्वविद्यालय को पता हो कि कोई छात्र आपराधिक शिकायत का अनुसरण कर रहा है, परिसर की सुरक्षा के कार्यालय का एक सदस्य अनुरोध करेगा कि अभियोजक का कार्यालय विश्वविद्यालय को सूचित करता रहे और शिकायत पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं इस निर्णय को लेने में तुरंत सलाह दे। विश्वविद्यालय अभियोजक के कार्यालय के अनुरोध की तिथि के दस्तावेजीकरण को अनुरक्षित रखेगा। उन मामलों में जहां अभियोजक के कार्यालय ने अभियोजन को अस्वीकार कर दिया हो, परिसर की सुरक्षा के कार्यालय का एक सदस्य अभियोजक के निर्णय के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने के लिए अभियोजक के कार्यालय के साथ कार्य करेगा।

आपराधिक शिकायत का अनुसरण करने के विकल्प के अतिरिक्त, छात्रों के पास यह भी पता लगाने का विकल्प होता है कि क्या वे सुरक्षा के आदेश, निरोधक आदेश या आपराधिक या नागरिक न्यायालय द्वारा जारी किए गए अन्य आदेशों के हकदार होंगे या नहीं। इस प्रकार के आदेशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, ऐसे आदेशों से संबंधित विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियों सहित, छात्रों को नॉट्रे डेम सुरक्षा पुलिस या सेंट जोसेफ काउंटी के पारिवारिक न्याय केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

यौन उत्पीड़न, यौन संभोग, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, और प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाली घटनाओं की सूचना किस प्रकार दें

विश्वविद्यालय छात्रों को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणों की सभी घटनाओं की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्र निम्न रिपोर्टिंग विकल्पों में किसी एक या दोनों को चुन सकते हैं:

विश्वविद्यालय को सूचित करना

विश्वविद्यालय का उप-शीर्षक IX समन्वयक 574-631-7728 पर कॉल करके या DeputyTitleIXCoordinator@nd.edu पर ईमेल द्वारा उपलब्ध है। उप-शीर्षक IX समन्वयक विश्वविद्यालय के व्यावसायिक दिनों के दौरान सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय speakup.nd.edu पर एक ऑनलाइन घटना की रिपोर्टिंग प्रस्तुत करता है। यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या नॉट्रे डेम के विद्यार्थियों से सम्बंधित प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरण की सभी रिपोर्ट्स, speakup.nd.edu ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं उन्हें विश्वविद्यालय के उप-शीर्षक IX समन्वयक को समीक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

कानून लागूकरण की रिपोर्टिंग

नोट्रे डेम सुरक्षा पुलिस (NDSP) दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, 574-631-5555 पर फोन करके उपलब्ध है। आपातकाल में छात्र 911 पर फोन भी कर सकते हैं। यदि घटना नोट्रे डेम की संपत्ति पर हुई हो तो, NDSP, इंडियाना राज्य में एक विधिवत अधिकृत पुलिस एजेंसी, एक उचित एजेंसी है जिसके साथ इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। परिसर पर हुई घटनाओं को सेंट जोसेफ काउंटी पुलिस विभाग (574-235-9611) पर भी सूचित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानों को सम्मिलित करते हुए, ऑफपरिसर की घटनाओं के लिए, जहां घटना हुई हो, रिपोर्ट को स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ भी दर्ज किया जा सकता है। दक्षिण बेंड क्षेत्र में, स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों में दक्षिण बेंड, सेंट जोसेफ काउंटी, औरमिशवाका पुलिस विभाग सम्मिलित हैं। Notre Dame सुरक्षा पुलिस (911 परिसर के फोन से, या किसी सेल फोन से 574-631-5555) उचित एजेंसी से संपर्क करने में सहायता कर सकते हैं। हालांकि छात्रों को NDSP या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्टिंग के विकल्प का चयन करने के बावजूद, विश्वविद्यालय एक बार किसी छात्र द्वारा यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणकी घटना के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसका जवाब देने के लिए बाध्य है।

रिपोर्ट्स के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया

प्रारंभिक आकलन

यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणकी घटना के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, उप-शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) सूचित किए गए व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे और किसी भी तत्काल स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी चिंताओं का जवाब देंगे।

उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित), और जहां उपयुक्त हो छात्र मामलों का व्यवस्थापक, यह निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट की प्रकृति एवं परिस्थितियों का भी आकलन करेगा कि क्या रिपोर्ट किया गया आचरण इस नीति के दायरे के भीतर है या नहीं, क्या रिपोर्ट किए गए आचरण में संभावित नीति उल्लंघन और इस नीति के अंतर्गत उचित तरीके से समाधान किया गया है या नहीं। संभव होने पर, इसमें समाधान की शैली और आगे बढ़ने के लिए किसी भी अवरोध के लिए (नीचे अनामिता के लिए अनुरोध और/या नीचे कोई यूनिवर्सिटी प्रस्ताव नहीं की प्रक्रिया देखें) शिकायतकर्ता की व्यक्ति प्राथमिकता की चर्चा सम्मिलित होगी। पर्यावरण को बर्बरता एवं भेदभाव से मुक्त बनाए रखने के दायित्व को भी ध्यान में रखा जाएगा।

प्रारंभिक मूल्यांकन के समापन पर, विश्वविद्यालय या तो:

1. रिपोर्ट को वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया की ओर भेजेगा;
2. रिपोर्ट को प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया की ओर भेजेगा;
यदि आचरण नीति के दायरे के भीतर नहीं है या संभावित नीति का उल्लंघन नहीं करता है; और/या मामलो को समाप्त नहीं करता है तो चिंताओं को दूर करने के लिए,
3. रिपोर्ट को एक उपयुक्त इकाई को भेजेगा।

उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) सभी रिपोर्टों और प्रस्तावों के रिकॉर्ड को अनुरक्षित रखेंगे।

अनामिकता और/या कोई विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रक्रिया नहीं के लिए अनुरोध

ऐसी घटना में जिसमें कोई शिकायतकर्ता उसका नाम अज्ञात रखने का अनुरोध करता है या किसी मामले को प्रशासनिक समाधान या वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तो विश्वविद्यालय ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा। उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) इस बारे में एक दृढ़ संकल्प करेगा कि क्या अनुरोध को स्वीकृत किया जा सकता है। यह फैसला कई कारकों की समीक्षा पर आधारित होगा, जिसमें उत्तरदाता को, व्यक्तियों और/या एक विशिष्ट स्थान के समूह को सम्मिलित करते व्यवहार; उत्तरदाता द्वारा भविष्य में होने वाली यौन या अन्य हिंसा की धमकी; हथियार का उपयोग; शिकायतकर्ता नाबालिग है या नहीं; और/या विश्वविद्यालय समुदाय के अन्य जोखिम सम्मिलित हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।

यदि विश्वविद्यालय शिकायतकर्ता के अनुरोध से सहमत होने में समर्थ होता है कि मामले को प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा जाए, तो शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा कि मामले को प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया या वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में भेजा जाए नहीं इसका अनुरोध करने के लिए उसके पास [उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) के निर्णय की तिथि से] छह (6) महीनों का समय है।

यदि विश्वविद्यालय अज्ञातता के लिए शिकायतकर्ता के अनुरोध से सहमत होने में समर्थ है, तो घटना की सार्थक जांच पड़ताल करने या कथित उत्तरदाता के विरुद्ध प्रशासनिक परिणाम का अनुसरण करने के लिए विद्यालय की क्षमता सीमित हो सकती है।

कुछ मामलों में, इस समीक्षा के आधार पर, संभव रूप से विश्वविद्यालय सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, गैर-भेदभावपूर्ण वातावरण प्रदान करने के अपने दायित्व का पालन करने के लिए शिकायतकर्ता के अनुरोध से सहमत नहीं हो सकता है। यदि विश्वविद्यालय यह निर्धारित करता है कि वह शिकायतकर्ता के अनुरोध से सहमत होने में समर्थ नहीं है कि किसी मामले को प्रशासनिक समाधान या वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया में निर्दिष्ट नहीं जाए तो, शिकायतकर्ता को प्रशासनिक समाधान या वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पहले लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

यदि विश्वविद्यालय प्रशासनिक प्रस्ताव या वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया में नाम को अज्ञात रखने के शिकायतकर्ता के अनुरोध से सहमत होने में समर्थ नहीं होता है, तो उप-शीर्षक IX समन्वयक शिकायतकर्ता को जांच पड़ताल शुरू करने से पहले लिखित रूप में सूचित करेगा और संभवतः, जानकारी केवल विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए जिम्मेदार लोगों को ही साझा करेगा।

उत्तरदाता के नामांकन, प्रतिलेख और डिग्री के बारे में जानकारी

आमतौर पर, विश्वविद्यालय के आचरणके मानक के कथित उल्लंघन की एक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उत्तरदाता विश्वविद्यालय से अनुपस्थिति को वापस या छुट्टी नहीं ले सकता। विश्वविद्यालय से निकासी या अनुपस्थित रहने के लिए छात्र के अनुरोध की परवाह किए बिना, विश्वविद्यालय उचित समाधान प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी समय विश्वविद्यालय उत्तरदाता के विश्वविद्यालय अकादमिक प्रतिलेख पर एक प्रशासनिक नियंत्रण रख सकता है, एक प्रतिलेख को अधिसूचित कर सकता है, या उत्तरदाता की डिग्री के पुरस्कार को स्थगित रख सकता है। ऐसे मामलों में जहां विश्वविद्यालय एक उत्तरदाता को विश्वविद्यालय से निकासी के लिए अनुमति देता है,

जबकि संकल्प प्रक्रिया लंबित हो, इस निकासी को स्थायी माना जा सकता है और उत्तरदाता की अकादमिक प्रतिलेख को आयोजित किया जा सकता है या "विलंबित जांच लंबित" हो सकती है। यहां तक कि अगर कोई उत्तरदाता विश्वविद्यालय से निकास करता है, तो उप-शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले सकता है। प्रशासनिक समाधान की प्रक्रिया के समापन पर, विश्वविद्यालय की आचार संहिता की रिपोर्टिंग नीति द्वारा निर्धारित रूप से उत्तरदाता के प्रतिलेख को उचित संकेतन या संकेतन को हटाने के साथ अपडेट किया जाएगा।

वैकल्पिक संकल्प प्रक्रिया

वैकल्पिक संकल्प एक स्वैच्छिक, शैक्षणिक, और उपचार-आधारित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रकृति में अनुशासनात्मक होना नहीं है। जहां एक प्रारंभिक आकलनका निष्कर्ष यह निकले कि वैकल्पिक प्रस्ताव उचित हो सकता है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में और एक संभावित प्रतिकूल वातावरण को समाप्त करने के लिए शिकायतकर्ता की शैक्षिक, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और रोजगार की गतिविधियों तक पहुंच बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय व्यक्ति और/या समुदाय आधारित तैयार किए गए उपायों की पेशकश करेगा।

इस प्रक्रिया में कई प्रकार के दृष्टिकोण सम्मिलित हो सकते हैं, जिनमें शैक्षिक प्रोग्रामिंग या प्रशिक्षण, उत्तरदाता के साथ बातचीत की सुविधा, और/या मध्यस्थता सम्मिलित है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। कुछ मामलों में, जैसे कथित यौन आक्रमण, मध्यस्थता स्वैच्छिक आधार पर भी उचित नहीं होगी। चुनिंदा वैकल्पिक प्रस्ताव के आधार पर, शिकायतकर्ता को नाम अज्ञात रखना संभव हो सकता है। विश्वविद्यालय वैकल्पिक समाधान के किसी विशेष रूप में भाग लेने के लिए किसी छात्र को मजबूर नहीं करेगा। वैकल्पिक प्रस्ताव में भागीदारी स्वैच्छिक है, और कोई भी पार्टी किसी भी समय वैकल्पिक समाधान को समाप्त करने का अनुरोध कर सकती है।

विश्वविद्यालय वैकल्पिक समाधान के साथ आगे बढ़ने के फैसले के बाद साठ (60) कैलेंडर दिनों के भीतर वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। कुछ मामलों में, यह तारीख रिपोर्ट की तारीख के समान हो सकती है; अन्य मामलों में प्रारंभिक मूल्यांकन में एकत्रित जानकारी के आधार पर यह तारीख बाद की हो सकती है। 60 कैलेंडर दिन की समयसीमा में विशेष रूप से शैक्षणिक विराम की अवधि सम्मिलित नहीं होती है और यह अवकाश या अन्य विस्तारित परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है। मुद्दे पर तथ्यों और परिस्थितियों के क्षेत्र या जटिलता या अन्य अतिरिक्त परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय प्रत्येक विषयानुसार आधार पर वैकल्पिक प्रस्ताव प्रक्रिया को उचित रूप से संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय इस नीति में किसी भी समय सीमा को अच्छे कारण के लिए बढ़ा सकता है, जिसमें 60 कैलेंडर दिन की समयसीमा का विस्तार भी सम्मिलित है। किसी भी संशोधन के बारे में दोनों पक्षों को सूचित किया जाएगा।

प्रशासकीय समाधान प्रक्रिया

प्रशासनिक समाधान में निरंतर जांच पड़ताल सम्मिलित है और परिणामस्वरूप उत्तरदाता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है जब एक रिपोर्ट को प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया में भेजा जाता है, तो उप-शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) एक त्वरित, पूर्ण, उचित एवं निष्पक्ष जांच पड़ताल करने के लिए एक अन्वेषक नियुक्त करेगा।

प्रशासनिक समाधान की सूचना

उप शीर्षक IX समन्वयक (पदनामित), नाम को अज्ञात रखने के अनुरोधों के अंतर्गत, शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता को निम्न जानकारी (यदि जात) के बारे में लिखित रूप में सूचित करेंगे:

- शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता के नाम;
- सूचित किए गए आचरणकी प्रकृति;
- सूचित की गई नीति का उल्लंघन;
- अन्वेषक का नाम;
- प्रतिशोध के विरुद्ध निषेध;
- किसी भी रूप में किसी भी संभावित प्रासंगिक प्रमाण के संरक्षण के महत्व; तथा

- इस नीति की एक प्रति।

यदि जांच पड़ताल में अतिरिक्त या विभिन्न संभावित नीतियों के उल्लंघन का पता चलता है, तो उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) जांच पड़ताल का एक पूरक नोटिस जारी करेगा जिसमें यह जानकारी सम्मिलित है।

जांच का अवलोकन

एक प्रशासनिक समाधान के दौरान, अन्वेषक शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और प्रासंगिक गवाहों से अलगसे मिलने का प्रयास करेगा। उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए जिन्होंने प्रश्न में कार्यो को निरीक्षण किया हो, साक्षी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इस घटना के लिए प्रासंगिक जानकारी हो सकती है, प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं, उन्हें इस घटना या संबंधित मामलों के बारे में अन्य जानकारी हो सकती है। साक्षी किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में पूर्ण रूप से बात करने के लिए भाग नहीं ले सकते हैं।

उपलब्ध एवं उपयुक्त होने पर अन्वेषक भी अन्य संबंधित जानकारी या प्रमाण एकत्र कर सकते हैं या उनका अनुरोध कर सकते हैं। शिकायतकर्ता एवं

उत्तरदाता को गवाहों की पहचान करने एवं अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाएगा, जैसे दस्तावेज़, संचार, फोटो एवं अन्य साक्ष्य। दोनों पक्षों को सभी प्रासंगिक जानकारी (साक्षी की जानकारी सहित) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि शीघ्र समाधान शीघ्रता से संभव हो सके। जांच के दौरान, उन लोगों के साथ आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी जिनके बारे में जानने की आवश्यकता है, जैसे कि जांचकर्ता, गवाह एवं उत्तरदाता।

प्रारंभिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट की समीक्षा

जांच पड़ताल के तथ्य-एकत्रित भाग के समापन पर, अन्वेषक एक प्रारंभिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट तैयार करेगा जो कि शिकायतकर्ता और सूचना के प्रति उत्तरदायी पहंच प्रदान करता है जिसका उपयोग अंतिम जांच रिपोर्ट में किया जा सकता है।

प्रारंभिक अन्वेषण की रिपोर्ट और साथ-साथ दस्तावेजों को समीक्षा करने के लिए शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता को निम्न के लिए सात (7) कैलेंडर दिन दिए जाएंगे:

- अन्वेषक से फिर से मिलने के लिए अनुरोध करने के लिए;
- लिखित टिप्पणी या प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए;
- अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए;
- अन्य पक्ष या साक्षी से पूछने पर विचार करने के लिए अन्वेषक के लिए प्रश्न प्रस्तुत करने; और/या
- अतिरिक्त गवाहों की पहचान करने के लिए।

यदि कोई पक्ष एक लिखित प्रतिक्रिया या अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, तो सामग्री को अन्य पक्ष के साथ साझा किया जाएगा और अंतिम जांच रिपोर्ट में उचित रूप में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई भी साक्षी नई जानकारी साझा करता है, तो उसे पक्षों के साथ भी साझा किया जाएगा। जैसा उपयुक्त हो, ऊपर दी गई अतिरिक्त जानकारी के लिए प्रत्येक पक्ष को लिखित रूप में उत्तर देने के लिए पांच (5) कैलेंडर दिन प्रदान किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के व्यावसायिक समयके दौरान दोनों पक्षों को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने की सुविधा होगी। रिपोर्ट विश्वविद्यालय की संपत्ति है और उसकी फोटोकॉपी, फोटोग्राफ, रिकॉर्ड या प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती। विश्वविद्यालय रिपोर्ट की समीक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान कर सकता है। रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान साक्षी के रूप में भाग लेने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता है।

अंतिम जांच पड़ताल की रिपोर्ट

पक्षों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद, अन्वेषक जांच पड़ताल के दौरान एकत्रित की गई जानकारी की समीक्षा करने के लिए उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामित) एवं छात्र मामलों के व्यवस्थापक से मिलेंगे। साथ में, ये व्यक्ति निम्नानुसार सिफारिशें करेंगे:

- यदि, प्रमाण के महत्व पर आधारित, जानकारी नीति के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व की तलाश का समर्थन करती है; और यदि ऐसा है तो,
- उल्लंघन के लिए निर्दिष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक परिणाम।

साक्ष्य के महत्व पर आधारित जिम्मेदारी का एक मतलब है कि सभी प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार की तुलना में इसकी संभावना अधिक है, कि उत्तरदाता ने नीति का उल्लंघन किया हो।

अन्वेषक फिर एक अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें उन सिफारिशों को सम्मिलित किया जाएगा और उन तक पहुंचने के लिए जानकारी प्रदान की जाएगी। दोनों पक्षों को अनुशंसित निष्कर्षों एवं प्रशासनिक परिणामों को चुनने के लिए सिफारिशों और निर्देशों की एक साथ लिखित अधिसूचना प्राप्त होगी।

विश्वविद्यालय के व्यावसायिक समयके दौरान दोनों पक्षों को अंतिम जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने की सुविधा होगी। रिपोर्ट विश्वविद्यालय की संपत्ति है और उसकी फोटोकॉपी, फोटोग्राफ, रिकॉर्ड या प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती। विश्वविद्यालय रिपोर्ट की समीक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान कर सकता है। रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान साक्षी के रूप में भाग लेने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता है।

अनुशंसित निष्कर्ष की प्रतियोगिता के लिए समीक्षा, एवं प्रक्रियाएं

कोई भी पक्ष एक प्रशासनिक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से अनुशंसित निष्कर्षों को स्वीकार कर सकता है या चुनौती दे सकता है:

- a. एक प्रक्रियात्मक दोष जो अनुशंसित निष्कर्षों को परिवर्तित करने के लिए संतोषजनक रूप से पर्याप्त हो;
- b. जांच के दौरान छात्र के लिए अज्ञात या अनुपलब्ध मूल नई जानकारी की निष्कर्ष एवं जिसका अनुशंसित निष्कर्षों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो;
- c. और/या अनुशंसित निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों।

प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड की समीक्षा इन तीनों आधारों तक सीमित है। यदि अनुशंसा का आधार उचित हो तो अनुशंसित निष्कर्ष का निर्णय करने वाले लोगों के लिए अपने निर्णय को परिवर्तित करने का कार्य प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड का

नहीं है। इसलिए, जब तक अनुशंसित निष्कर्ष अनुचित नहीं होती तब तक प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड अनुशंसित निष्कर्ष को बदल नहीं सकता है, (यानी, जब तक अनुशंसित निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न हो)।

अनुशंसित निष्कर्षों को चुनने की प्रक्रिया पृष्ठ 16 पर प्राप्त की जा सकती है।

यदि नीति के उल्लंघन के लिए अनुशंसित निष्कर्ष "उत्तरदायी नहीं" है

1. शिकायतकर्ता प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध नहीं करता है

यदि शिकायतकर्ता किसी अनुशंसित निष्कर्ष को चुनौती नहीं देता है कि उत्तरदाता किसी भी नीति के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो अनुशंसित निष्कर्षों को अंतिम माना जाएगा और मामले को बंद कर दिया जाएगा।

2. शिकायतकर्ता का प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध

शिकायतकर्ता को सात (7) कैलेंडर दिनों के भीतर ऑनलाइन फार्म के माध्यम से एक बयान प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें बताया गया हो कि शिकायतकर्ता ने अनुशंसित निष्कर्षों को चुनौती क्यों दी है।

उत्तरदाता को शिकायतकर्ता के बयान की समीक्षा करने एवं लिखित में प्रतिक्रिया प्रदान करने का अवसर मिलेगा। उत्तरदाता को शिकायतकर्ता के अनुरोध के बारे में सूचित किये जाने की तारीख के पांच (5) कैलेंडर दिनों के भीतर उत्तरदाता की प्रतिक्रिया को ऑनलाइन फार्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी (और उत्तरदाता, यदि उत्तरदाता एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है) को अंतिम जांच पड़ताल की रिपोर्ट के साथ प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड को भेज दिया जाएगा। पृष्ठ 16-17 पर वर्णित अनुसार प्रशासनिक समीक्षा की समीक्षा में जानकारी की समीक्षा की जाएगी।

यदि नीति के उल्लंघन के लिए अनुशंसित निष्कर्ष "उत्तरदायी" है

1. उत्तरदाता प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध नहीं करता है

यदि उत्तरदाता नीति उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी की अनुशंसित निष्कर्ष को चुनौती नहीं देने का चुनाव नहीं करता है, तो अनुशंसित निष्कर्ष अंतिम हो जाती है और अंतिम जांच पड़ताल की रिपोर्ट प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड को भेज दी जाएगी।

प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड प्रशासनिक परिणाम (पृष्ठ 18 पर वर्णित अनुसार) के निर्धारण पर निर्णय करेगा।

2. उत्तरदाता का प्रशासनिक समीक्षा का अनुरोध

उत्तरदाता को सात (7) कैलेंडर दिनों के भीतर ऑनलाइन फार्म के माध्यम से एक बयान प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें बताया गया हो कि उत्तरदाता ने निष्कर्षों को चुनौती क्यों दी है।

शिकायतकर्ता को उत्तरदाता के बयान की समीक्षा करने एवं लिखित में प्रतिक्रिया प्रदान करने का अवसर मिलेगा। शिकायतकर्ता को उत्तरदाता के अनुरोध के बारे में सूचित किये जाने की तारीख के पांच (5) कैलेंडर दिनों के भीतर उत्तरदाता की प्रतिक्रिया को ऑनलाइन फार्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी (और शिकायतकर्ता, यदि शिकायतकर्ता एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है) को अंतिम जांच पड़ताल की रिपोर्ट

के साथ प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड को भेज दिया जाएगा। पृष्ठ 16-17 पर वर्णित अनुसार प्रशासनिक समीक्षा की समीक्षा में जानकारी की समीक्षा की जाएगी।

प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही

प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही व्यक्ति के प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड को संबोधित करने के लिए शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता के लिए एक अवसर है। पार्टियां अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट एवं अंतिम जांच पड़ताल रिपोर्ट (यदि लागू हो) के जवाब में प्रस्तुत पूरक कथनमें किसी भी जानकारी को संबोधित कर सकती हैं।

प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड को विशिष्ट प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही की कार्यसूची निर्धारित करने का विवेकाधिकार है। शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों को निम्न बातें प्रदान की जाती हैं:

- a. कार्यवाही में उपस्थित होने का अवसर।
 - i. उत्तरदाता या शिकायतकर्ता के अनुसूचित कार्यवाही में भाग लेने में विफल होने पर , कार्यवाही आयोजित की जाएगी एवं उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।
 - ii. प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम सहित विश्वविद्यालय के दायित्वों से क्षमा योग्य अनुपस्थिति प्रदान की जाएगी।
 - iii. दोनों पक्षों को प्रशासनिक समीक्षा की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। कोई भी पक्ष प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का अनुरोध कर सकता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाग लेने सहित अन्य पक्ष के साथ भौतिक निकटता की आवश्यकता नहीं है।
- b. प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए पसंद का एक सलाहकार होने का अवसर
 - i. सलाहकार की भूमिका संवादाहित होना है।
 - ii. सलाहकारों को टिप्पणी करने, नोट्स आगे बढ़ाने, या अन्यथा प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - iii. प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही के दौरान विघटनकारी सलाहकारों को प्रस्थान करने की आवश्यकता हो सकती है।
 - iv. कमरे के बाहर एक स्थान पर जहां प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही आयोजित की जाएगी वहां अपने संबंधित सलाहकारों को प्रदान करने के लिए शिकायतकर्ता और उत्तरदाता के लिए प्रशासनिक समीक्षा के दौरान विराम की पेशकश की जाएगी। सभी विरामों की समयबद्धता और लंबाई प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड के विवेक पर आधारित होगी।
- c. प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड के किसी भी प्रश्न को सुनने एवं जवाब देने का अवसर।
 - i. प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड उत्तरदाता एवं शिकायतकर्ता के साथ सीधे संवाद करेगा, न कि किसी भी तीसरे पक्ष के माध्यम से।
 - ii. कोई प्रतिनिधि किसी उत्तरदाता या शिकायतकर्ता के स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता है।
 - iii. प्रत्येक पक्ष प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड द्वारा अन्य पक्ष से पूछे जाने के लिए विचार करने पर कार्यवाही में प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड को लिखित रूप में प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं।
 - iv. पूछा गया कोई भी प्रश्न प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड के विवेकाधिकार पर होगा।
- d. न ही शिकायतकर्ता और न ही उत्तरदाता को प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही के तत्काल या तुरंत बाद, एक दूसरे के साथ सीधे संचार में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यवाही को प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और बोर्ड के अलावा अन्य किसी के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग को कार्यवाही समाप्त होने के बाद कमसे कम एक वर्ष के लिए संरक्षित किया जाएगा या फिर प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक होने तक मामले को कानूनी प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारण

प्रशासनिक समीक्षा की कार्यवाही की समाप्ति पर , प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड यह निर्धारित करेगा कि क्या:

- एक प्रक्रियात्मक दोष जो अनुशंसित निष्कर्षों को परिवर्तित करने के लिए संतोषजनक रूप से पर्याप्त हो;
- जांच के दौरान छात्र के लिए अज्ञात या अनुपलब्ध मूल नई जानकारी एवं जिसका अनुशंसित निष्कर्षों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो;
- और/या अनुशंसित निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों।

यदि प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड निर्धारित करता है कि इन तीनों आधारों में से कोई उपलब्ध है, तो प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड इस मामले को उप-शीर्षक IX समन्वयक को पुनर्प्रेषित करेगा।

यदि प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड निर्धारित करता है कि इन तीनों आधारों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो अंतिम जांच पड़ताल की रिपोर्ट में जिम्मेदारी की अनुशंसित निष्कर्ष को अंतिम माना जाएगा एवं आगे की समीक्षा के अधीन नहीं होगी। उन मामलों में जहां उत्तरदाता को किसी नीति के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार न पाया गया हो, प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड तब पृष्ठ 18 पर वर्णित अनुसार उपयुक्त प्रशासनिक परिणाम निर्दिष्ट करेगा।

प्रशासकीय परिणामों का स्वत्वार्पण

जहां विश्वविद्यालय की नीति के उल्लंघन की निष्कर्ष हो, प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड एक या अधिक प्रशासनिक परिणामों को निर्दिष्ट कर सकता है। प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड अंतिम जांच पड़ताल की रिपोर्ट में सम्मिलित अनुशंसित प्रशासनिक परिणामों पर विचार करेगा; हालांकि, जहां उपयुक्त हो प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड प्रशासनिक परिणाम समायोजित कर सकता है।

विश्वविद्यालय के शैक्षिक मिशन का समर्थन करते हुए, प्रशासनिक परिणामों के निर्दिष्टीकरण को, यौन उत्पीड़न को समाप्त करने, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने एवं इसके प्रभावों को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। उत्तरदाता के आचरणरिकॉर्ड, किसी भी पूर्व यौन दुराचार सहित, उपयुक्त प्रशासनिक परिणाम का निर्धारण करने पर विचार किया जा सकता है।

प्रशासनिक परिणामों को व्यक्तिगत या संयोजन में निर्दिष्ट किया जा सकता है। प्रशासनिक परिणामों में अनुशासनात्मक कार्रवाई सम्मिलित हो सकती है (अर्थात् विश्वविद्यालय से अनुशासनिक परिवीक्षा या बर्खास्तगी)। प्रशासनिक परिणाम में निम्न बातें सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

- लिखित चेतावनी
- शैक्षिक कार्यक्रम में भागीदारी
- अल्कोहल का आकलना शिक्षा
- पदार्थ के दुरुपयोग का उपचार
- मनोवैज्ञानिक आकलन
- परिसर के एक विशिष्ट स्थान से प्रतिबंध
- अतिरिक्त पाठ्यचर्या विशेषाधिकारों की हानि\
- एक आवासीय समुदाय के भीतर विशिष्ट विशेषाधिकारों की हानि
- परिसर के आवास में रहने के अवसर की हानि
- कोई संपर्क आदेश नहीं
- अनुशासनात्मक कार्रवाई (निम्न वर्णित अनुसार)
 - *अनुशासनात्मक परिवीक्षा*: एक छात्र के आचरणके अवलोकन और मूल्यांकन की एक निश्चित अवधि के रूप में परिभाषित अनुशासनात्मक परिवीक्षा पर छात्र द्वारा किए गए विश्वविद्यालय या निवास हॉल नीति का कोई भी उल्लंघन एक गंभीर उल्लंघन है और इसका परिणाम विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया जाना हो सकता है। अनुशासनात्मक परिवीक्षा पर रखा गया एक छात्र परिवीक्षा की अवधि के दौरान विदेश में किसी अंतरराष्ट्रीय अध्ययन या किसी अन्य ऑफ़साइट विश्वविद्यालय अकादमिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता।
 - *पुनः प्रवेश के आवेदन के अवसर के साथ बर्खास्त*: विश्वविद्यालय से पृथक्करण जो छात्र को एक निश्चित अवधि के बाद और बर्खास्त होने के समय निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के बाद पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है। पुनः प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय को एक आवेदन करने की आवश्यकता है एवं पुनः प्रवेश की कोई गारंटी नहीं है। एक छात्र के पुनः प्रवेश के लिए आवेदन के, कथित दुराचार के किसी भी अनसुलझे और/या अतिरिक्त रिपोर्ट्स के एक भाग के रूप में विश्वविद्यालय अपने विवेकाधिकार में विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - *स्थायी बर्खास्तगी*: पुनः प्रवेश के किसी भी अवसर के बिना विश्वविद्यालय से स्थायी पृथक्करण।

प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड की समीक्षा की सूचना

शिकायतकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड के निर्णय का लिखित नोटिस प्राप्त करेंगे। जिम्मेदारी के निष्कर्षों को भी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए छात्र के आचरणके रिकॉर्ड एवं (ऑनलाइन उपलब्ध: ulac.nd.edu/records) के अनुसार विश्वविद्यालय के रिपोर्ट योग्य आचार संहिता रिपोर्टिंग की नीति में सम्मिलित किया जाएगा। यदि किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो लिखित अनुरोध पर रिश्तेदारों को प्रशासनिक समीक्षा के परिणाम से लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

प्रशासकीय समाधान प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश

निम्नलिखित पैरामीटर, प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया के लागू दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। मुद्दे पर तथ्यों एवं परिस्थितियों के विस्तार या जटिलता या अन्य परिष्कृत परिस्थितियों के कारण, विश्वविद्यालय के अनुसार मामले-दर -मामले के आधार पर प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया को उचित रूप से संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी संशोधन के बारे में दोनों पक्षों को सूचित किया जाएगा।

समय सीमा

प्रशासनिक समाधान की सूचना के बाद विश्वविद्यालय साठ (60) कैलेंडर दिनों के भीतर प्रशासनिक समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। कुछ मामलों में, यह तारीख रिपोर्ट की तारीख के समान हो सकती है; अन्य मामलों में प्रारंभिक मूल्यांकन में एकत्रित जानकारी के आधार पर यह तारीख बाद की हो सकती है। 60 कैलेंडर दिन की समय-सीमा में विशेष रूप से शैक्षणिक विराम की अवधि सम्मिलित नहीं होती है और यह अवकाश या अन्य विस्तारित परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है। 60 कैलेंडर दिनों से अधिक के विस्तार सहित, विश्वविद्यालय इस नीति में किसी भी समयसीमा को अच्छे कारण के लिए विस्तारित कर सकता है। दलों या गवाहों की अनुपलब्धता के; या अन्य वैध कारणों के लिए, जांच पड़ताल की अखंडता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तार की आवश्यकता हो सकती है; जैसे कि

जांच पड़ताल की जटिलता और/या कथित दुराचार की गंभीरता एवं विस्तार-क्षेत्र। यदि प्रशासनिक समाधान 60 कैलेंडर दिनों के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तो उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामति) समयसीमा के किसी भी विस्तार को लिखित में पक्षों को सूचित करेंगे।

अन्वेषक

अन्वेषक विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी और/या बाहरी जांचकर्ता हो सकता है। किसी भी अन्वेषक को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणसे संबंधित मुद्दों पर वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

प्रशासनिक समाधान की प्रक्रिया में भागीदारी

विश्वविद्यालय के समुदाय के सभी सदस्यों से इस नीति के अंतर्गत किसी भी रिपोर्ट या कार्यवाही में सत्य जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणसे संबंध में जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करना और/या व्यक्तिगत लाभ या जानबूझकर किसी दूसरे के लिए नुकसान को ध्यान में रखकर असद्भाव में आरोप निर्मित करना निषिद्ध है और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन है। यह प्रावधान, सद्भावना से प्रदान की गई जानकारी या रिपोर्टों पर लागू नहीं होता है, भले ही रिपोर्ट में आरोप लगाए तथ्यों को बाद में सिद्ध नहीं किया गया हो या नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ हो।

जांच पड़ताल का एकीकरण

जहां उपयुक्त हो, उप शीर्षक IX समन्वयक (या पदनामति) को एकाधिक रिपोर्ट को एक ही जांच पड़ताल में समेकित करने का विवेकाधिकार है। समेकन में कई शिकायतकर्ताओं एवं एक एकल उत्तरदाता, एकाधिक उत्तरदाताओं और/या आचरणजो अस्थायी या तर्कसंगत रूप से जुड़ा हो सम्मिलित हो सकता है।

उस घटना में जहां एक उत्तरदाता एक शिकायतकर्ता के विरुद्ध शिकायत करता है, विश्वविद्यालय मूल शिकायत की जांच पड़ताल के समय उस शिकायत की जांच पड़ताल कर सकता है।

पूर्व यौन इतिहास

किसी भी पक्ष के पिछले यौन आचरणके बारे में साझा की गई जानकारी पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा, उन उदाहरणों को छोड़कर, जहां पक्षों के बीच एक पूर्व यौन संबंध था और साझा की गई जानकारी सहमति के मुद्दे के लिए प्रासंगिक हो सकती है।

प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड

प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड में, बोर्ड के सदस्यों के एक स्थायी पूल से दोनों पक्षों में समान तीन अलग-अलग सदस्य सम्मिलित होंगे। प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड में विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त शिक्षकों और प्रशासकों का समावेश होगा। छात्र प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा नहीं कर सकते। प्रशासनिक समीक्षा बोर्ड के सभी सदस्यों को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणसे संबंधित मुद्दों एवं उचित एवं निष्पक्ष कार्यवाही के तरीकों पर जो पक्षों को सूचना एवं उनकी बातों को सुने जाने का एक सार्थक अवसर प्रदान कर सके, एक वार्षिक प्रशिक्षण मिलेगा।

शिक्षा कार्यक्रम

विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न (बलात्कार एवं परिचित बलात्कार सहित लेकिन इस तक सीमित नहीं है), घरेलू हिंसा, डेटिंग हिंसा, और छेड़छाड़ के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए निम्नलिखित शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करेगा।

प्राथमिक रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम

विश्वविद्यालय आने वाले सभी छात्रों एवं नए कर्मचारियों के लिए प्राथमिक रोकथाम और जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- एक बयान जिसमें विश्वविद्यालय घरेलू हिंसा, डेटिंग हिंसा, यौन उत्पीड़न, और छेड़छाड़ के अपराधों को प्रतिबंधित करता है; एवं विश्वविद्यालय की नीतियों का विवरण जो इस आचरणको निषिद्ध करता है;
- सहमति की परिभाषा, यौन गतिविधि के संदर्भ में;
- इंडियाना कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा, डेटिंग हिंसा, यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ की परिभाषा;

- तमाशाई के हस्तक्षेप के लिए सुरक्षित एवं सकारात्मक विकल्प जिसे किसी व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा, डेटिंग हिंसा, यौन उत्पीड़न, या इस प्रकार के व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध छेड़छाड़ के जोखिम को रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है;
- अपमानजनक व्यवहार की चेतावनी के संकेतों को पहचानने और संभावित आक्रमणों से बचने के लिए जोखिम में कमी संबंधी जानकारी;
- संभावित प्रशासनिक परिणाम या सुरक्षात्मक उपाय जिसे विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणके आरोपों के संबंध में एक प्रशासनिक समाधान के एक अंतिम निर्धारण के बाद लागू कर सकता है।
- एक प्रक्रिया जिसे शिकायतकर्ता को यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और/या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणछत्तपन्न होने पर पालन करना चाहिए;
- यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, डेटिंग हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और /या प्रतिकूल वातावरण निर्मित करने वाले आचरणछत्तपन्न होने पर विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रक्रियाएं (प्रशासनिक संकल्प की कार्यवाही);
- कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, शिकायतकर्ता के बारे में जानकारी को पहचानने के बिना; सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकार्डकीपिंग को पूर्ण किये जाने के तरीकों को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करने के तरीके के बारे में जानकारी,
- मौजूदा परामर्श, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पीड़ित की वकालत, कानूनी सहायता एवं छात्र एवं कर्मचारी के शिकायतकर्ताओं के लिए परिसर एवं समुदाय दोनों में उपलब्ध अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी, और
- शिकायतकर्ता द्वारा अपराध की रिपोर्ट का परिसर पुलिस या स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए चुनाव किया जाता है या नहीं इसके बावजूद, यदि शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया है और अगर इस प्रकार की सुविधाएं यथोचित रूप से उपलब्ध हैं तो अकादमिक, जीवित, परिवहन, और कार्यशील स्थितियों को बदलने के लिए विकल्पों और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी।

अविरत रोकथाम एवं जागरूकता अभियान

विश्वविद्यालय उन छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए निरंतर रोकथाम एवं जागरूकता अभियान भी प्रदान करेगा जिनकी जानकारी प्राथमिक रोकथाम और जागरूकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है।

